उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
अधिकारी:–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
म्बर:–372/2017 प्रार्थना पत्र
पिता मिश्रीलाल पानगड़िया, उम्र बालिग निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा
)
———प्रार्थी

बनाम

श्याम पिता बालूराम ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा
दीश पिता बालूराम ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा
लक्ष्मी पत्नि महेश चन्द्र गुप्ता, उम्र बालिग निवासी आर.सी.व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा
ाथ पिता धूंकल जाट, उम्र बालिग निवासी तस्वारिया तहसील व जिला भीलवाड़ा
ाकास न्यास, भीलवाड़ा जरिये सचिव महोदय, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
न राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांक:–6.5.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सांगानेर पटवार ागानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1903, 2974/1903, 03 कुल किता 3 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण ाराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं ारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का ा स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.11.2017 को पंजीबद्व किया जाकर ान विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 4 से 6 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। ल पत्रावली किये गये । विपक्षी संख्या 4 व 6 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 16.1.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे ावली किये गये। विपक्षी संख्या 1 से 3 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 3 को कितनी ही वत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 12.4.2019 को कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। वकील विपक्षी संख्या 5 द्वारा जवाब किये जाने के कारण दिनांक 12.4.2019 को जवाब बंद किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते ा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में ी के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के वीकार किया जाकर ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित राजी नम्बर 1903, 2974/1903, 3097/1903 कुल किता 3 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि की ानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये लेख निरीक्षक, भीलवाड़ा को 500/–रूपये (पॉच सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त ाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की /उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner